भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3089

जिसका उत्तर 07.08.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर डिवाइडर पर वृक्षारोपण

†3089. श्री दुरई वाइको:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क के डिवाइडर पर वृक्षारोपण सड़क सुरक्षा डिजाइन का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि ये विशेष रूप से रात्रि में वाहन चलाते समय हेडलाइट की चमक और आने वाले यातायात की दृश्यता को कम करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तमिलनाडु सहित देशभर के कई राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर डिवाइडर पर वृक्षारोपण नहीं किया गया है या उसका रखरखाव ठीक से नहीं किया गया है, जिससे के डिवाइडर पर वृक्षारोपण के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करने का उद्देश्य विफल हो रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और रियायतग्राहियों को सड़क के मध्य हरियाली के उचित डिजाइन, वृक्षारोपण और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए कोई दिशानिर्देश या अनुदेश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या दृश्यता को बढ़ाने और दुर्घटना जोखिम को कम करने के लिए देशभर के सभी 6-लेन/4-लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों के डिवाइडर पर एक समान हरियाली को पुनर्जीवित करने या लागू करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस संबंध में सौंदर्यीकरण के क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की योजना, डिज़ाइन, निर्माण और रखरखाव, भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के दिशानिर्देशों, विनिर्देशों, नियमावलियों और सरकार के नीतिगत परिपत्रों के अनुरूप किया जाता है। तदनुसार, विभाजित राष्ट्रीय राजमार्गों पर मध्य भाग (मीडियन) का प्रावधान किया जाता है जिसका उद्देश्य वाहनों के क्रॉसिंग और ओवरटेकिंग के दौरान सुरक्षा में सुधार हेतु यातायात की दो दिशाओं को अलग करना है। इसके अतिरिक्त, रात के समय हेडलाइट की चमक को कम करने और आने वाले यातायात की दृश्यता में सुधार करने के लिए, मध्य भाग में फूलदार पौधे और झाड़ियाँ लगाई जाती हैं, जो मध्य भाग के प्रकार, अर्थात् धंसे हुए/सपाट, उसकी चौड़ाई, पेव्ड या अनपेव्ड और भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं।

(ख) संविदा करार में, तमिलनाडु सहित देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर मध्य भाग में वृक्षारोपण के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और प्रभावशीलता के लिए नियमित रखरखाव, जिसमें छंटाई, निराई और पानी देना शामिल है, का प्रावधान है। झाड़ियों और पौधों के आकार को उचित रूप से विनियमित किया गया है ताकि ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप से कोई अतिवृद्धि न हो। पौधे चालकों की दृश्यता में बाधा न डालें या कोई सुरक्षा संबंधी खतरा उत्पन्न न करें, यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा ध्यान रखा जाता है।

(ग) और (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को राजमार्गों पर झाड़ियों और पेड़ों की नियमित छंटाई जैसे आवधिक निगरानी और रखरखाव उपायों को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ताकि राजमार्गों पर लगे साइनेज हर मौसम में चालकों को स्पष्ट रूप से दिखाई देते रहें। यह पुन: दोहराया जाता है कि मध्य भाग में वृक्षारोपण सहित पेड़-पौधों के कारण होने वाली बाधाओं को तुरंत हटा दिया जाएगा। एनएचएआई ने देश भर के सभी 6-लेन/4-लेन राष्ट्रीय राजमार्गों पर रोपण सामग्री की एकरूपता के कारण गुणवत्ता और सौंदर्य सुनिश्चित करने के लिए मध्य भाग में वृक्षारोपण के लिए पौधों के विनिर्देश जारी किए हैं।

******